राजस्थान सरकार
समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश

दिनांक: 15/1/16

समस्त जिलाधिकारी,

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सभी अधीनस्त जिला कार्यालयों एवं विभिन्न छात्रावासों में बेसी, अप्रवालित एवं अनुपयोगी सामानों के निरस्तरण हेतु दिये गये निर्देशों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है—

1. सामान्य वित्त एवं लेखा नियम 11 के नियम 18 के अनुसार सर्व समिति का गठन किया जाएगा जो निलामी से पूर्व सूची एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी। उक्त समिति में लेखा सदस्य होना आवश्यक है।

2. सामान्य वित्त एवं लेखा नियम 11 के नियम 22 के अनुसार निलामी हेतु यदि वस्तुओं का मूल्य 5 लाख रूपये से कम मूल्य के सामानों के लिए अधिकारी, कार्यालय अध्यक्ष, समस्त अधिकारी लेखाधिकारी/लेखाकर्मी, कोषाधिकारी/ सहायक या उप कोषाधिकारी या उनके द्वारा मनोनित कोषाधिकारी का कर्मचारी जैसी भी स्थिति हो की समिति होगी।

3. 5 लाख रूपये या इससे अधिक मूल्य के सामानों के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी(उक्त अधिकारी जिला कार्यालय द्वारा निलामी की तिथि निर्धारण एवं सुरू करने से प्रारंभ मुख्यालय से मनोनित किया जाएगा।

लेखा सदस्य के रूप में समस्त जिला परिषद के वरिष्ठ लेखाधिकारी को मनोनित किया जाये।
कार्यालय अध्यक्ष,
कार्यालय का लेखाधिकारी/लेखाकर्मी
कोषाधिकारी/ सहायक या उप कोषाधिकारी

4. निलामी हेतु लेखा समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी की जाएगी। 10 लाख रूपये तक मूल्य के सामान हेतु विज्ञापन प्रकाशन की समयावधि 15 दिवस एवं 10 लाख रूपये से अधिक मूल्य के सामान हेतु विज्ञापन प्रकाशन की समयावधि 20 दिवस होगी।

5. निलामी की कार्यवाही में कार्यालय में कार्यस्थल लेखाकर्मी की सहायता ली जायेगी।

*copy to ACP for e-mail to all districts.*
6 दिनोंं 18.01.2016 तक गिलामी की तिथि से अवगत कराये ताकि तदानुसार मुख्यालय से कार्यवाही की जा सकें।

(अनुपमा शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि

1. निजी सचिव, निदेशक, सान्याआवि, जयपुर, राजस्थान।
2. अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन) सान्याआवि, जयपुर, राजस्थान।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय, सान्याआवि, जयपुर, राजस्थान।

वित्तीय सलाहकार